इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र
शिमला

प्रश्न 1 इग्नू क्या है? इसको शुरु करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं ?

उत्तर - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी शुरुआत ससंद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली (Open and Distance Education) द्वारा विशिष्ट एवं उतकृष्ट उच्च शिक्षा के कार्यक्रम offer करता है।

प्रश्न 2 इग्नू वर्तमान मेंक्या है (Present status) ?

उत्तर - आज यह विश्वविद्यालय 30 लाख इग्नू के साथ पूरे देश में 67 क्षेत्रीय केन्द्रों और 2670 अध्ययन केन्द्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। सहभागी संस्थाओं के जरिए लगभग 55000 विद्यार्थियों के साथ इग्नू की महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय उपस्थिति है। पैन अफ्रीका ई. नेटवर्क परियोजना के जरिए विश्वविद्यालय लगभग 30 अफ्रीकी देशों को भिन्न–भिन्न तरह के शैक्षिक कार्यक्रम पेश कर रहा है। इग्नू विद्यार्थियों को 21 विद्यापीठों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में 253 शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है। यह विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले तिहाड जेल में शिक्षा उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया और आज देश भर में फैले 53 जेलों में यह कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न 3 इग्नू अन्य विश्वविद्यालयों से अलग कैसे है ?

उत्तर – इग्नू दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ODL System) द्वारा उच्च शिक्षा के कार्यक्रम चलाता है। विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों के लिए व्यापक स्तर पर शैक्षिक, व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, जिनमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ–साथ एम. फिल व पी. एच. डी. के कार्यक्रम शामिल है। आपको इसके लिए नियमित रूप से कॉलेज/विश्वविद्यालय कैम्पस में क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार आगे के अध्ययन, रोजगार, तकनीकी ज्ञान की वृद्धि तथा व्यासायिक जानकारी के संवर्द्धन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इग्नू के सभी कार्यक्रम को कार्पोरेट और व्यासायिक क्षेत्रों में भी पर्याप्त स्वीकृति मिल रही है। विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय केन्द्र/इग्नू वैबसाईट www.ignou.ac.in से ली जा सकती है।

प्रश्न 4 क्या इग्नू की डिग्री अन्य विश्वविद्यालयों के समतुल्य होती है ?

उत्तर – जी हाँ, इग्नू की स्थापना संसद के अधिनियम 1985 के अन्तर्गत केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22(1) के तहत उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार देती है। इग्नू की सभी उपाधियाँ/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सभी सदस्यों द्वारा मान्य हैं और यू. जी. सी. के परिपत्र सं. एफ–1–52/2000 (CCP-II) दिनांक 5 मई, 2004 और ए. आई. यू. परिपत्र सं. ई वी/11 (449/94) 176915 – 177115 तारीख 14 जनवरी 1994 तथा AICTE सर्कुलर सं. AICTE/एकेडमिक/एम.ओ.यू./2005 दिनांक मई 13, 2005 के अनुसार सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की उपाधियाँ/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों के समतुल्य है।

प्रश्न 5 हम इग्नू में नामांकन कब ले सकते हैं तथा इग्नू का शैक्षणिक सत्र क्या है ?

उत्तर – इग्नू में नामांकन साल भर होता है, परन्तु शैक्षणिक सत्र दो हैं। जनवरी सत्र तथा जुलाई सत्र। एक सत्र में अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् दूसरे सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ हो जाता है। अधिक जानकारी नजदीकी क्षेत्रीय केन्द्र अथवा इग्नू की वैबसाईट www.ignou.ac.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 6 मैं दसवीं या बारहवीं कक्षा पास नहीं हूँ, क्या मैं इग्नू से स्नातक की उपाधि ले सकता/सकती हूँ।

उत्तर – जी हाँ, इग्नू में बिना मैट्रिक, इंटर किए हुए छः माह के स्नातक उपाधि प्रारंभिक पाठ्यक्रम (BPP) करने के पश्चात् स्नातक उपाधि कार्यक्रम जैसे– बी.ए., बी.कॉम. तथा कई डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र कार्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। जिसके लिए न्यूनतक उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए।

प्रश्न 7 क्या किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पंजीकृत रहते हुए इग्नू में नामांकन ले सकते हैं ?

उत्तर – जी हाँ, किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़ने केक क्रम में भी आप इग्नू में नामांकन ले सकते हैं।

प्रश्न 8 इग्नू में परीक्षा कब होती है और फॉर्म भरने का समय कब तक है?

उत्तर – इग्नू हर वर्ष जून और दिसंबर माह में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करता है। सत्रांत परीक्षा जून के लिए 1 मार्च से तथा सत्रांत परीक्षा दिसम्बर के लिए 1 सितम्बर से फॉर्म अनिवार्य शुल्क के साथ उस क्षेत्रीय केन्द्र में जमा करेंगे जिसके अन्तर्गत चयनित परीक्षा केन्द्र हो।

प्रश्न 9 इग्नू का परीक्षा केन्द्र कहाँ होता है?

उत्तर – इग्नू के परीक्षार्थी सम्पूर्ण भारतवर्ष में कही भी परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए छात्र को परीक्षा फॉर्म संबंधित परीक्षा केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्र में जमा करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट भी उसी क्षेत्रीय केन्द्र के शहर में देय होगा।

प्रश्न 10 क्या इग्नू में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा है?

उत्तर – वैसे शिक्षार्थी जो आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के समाज कल्याण निदेशालय या समाज कल्याण कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित छात्र आवेदन–पत्र क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करेंगे, जहाँ से इसे संबंधित कार्यालय को छात्रवृत्ति के लिए अग्रसारित किया जाता है।

प्रश्न 11 नामांकन की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर कोई विषय/पाठ्यक्रम अपूर्ण रह जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है?

उत्तर – नामांकन की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपूर्ण रह गये विषय के लिए नये सिरे से पुनः नामांकन कराने का प्रावधान है। जिसके लिए छात्र को पुनः नामांकन हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो नई दिल्ली में देय हो) के साथ विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली को भेजेंगे।

प्रश्न 12 क्या इग्नू में नामांकन के बाद अध्ययन केन्द्र तथा क्षेत्रीय केन्द्र के स्थानांतरण का प्रावधान है?

उत्तर – जी हाँ, क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन अध्ययन केन्द्रों में स्थानांतरण का प्रावधान है बशर्ते कि संबंधित कार्यक्रम वहाँ उपलब्ध हैं। जिसके लिए आवेदन उस क्षेत्रीय केन्द्र को देंगे जहाँ छात्र पंजीकृत है। यदि विद्यार्थी उन कार्यक्रमों में पंजीकृत हैं जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम हों अथवा उनमें सीटों की संख्या सीमित हो एसी स्थिति में छात्रों को प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र से अपने स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेकर जमा करना है, साथी ही विद्यार्थी पहचान–पत्र की कॉपी भी लगाये।